फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहन **विपक्षी : श्री चन्द्रप्रकाश**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 52/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.04.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसकी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 3, विपक्षी सं. 2 का नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 से 3 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:56:19 IST
Reason: SelfAttested